अनुलग्नक

अनुलग्नक-1.1

(पैरा सं. 1.1 एवं अध्याय 5 के सन्दर्भ में)

एफ आर बी एम अधिनियम के तहत निर्धारित राजकोषीय नीति विवरण और प्रकटीकरण प्रपत्र

राजकोषीय नीति विवरण		
मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण (एमटीएफपी)	एमटीएफपी विवरण में राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच संतुलन से संबंधित स्थिरता के मूल्यांकन सहित अंतर्निहित मान्यताओं के विनिर्देशों के साथ सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व और कुल बकाया देयताओं के लिए तीन वित्तीय संकेतकों के लिए तीन साल के प्रवाही लक्ष्य शामिल हैं; उत्पादक आस्तियों के सृजन के लिए बाजार उधारों सहित पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग।	
राजकोषीय नीति योजना विवरण (एफ पीएस)	एफपीएस विवरण में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्र सरकार की कर लगाने, व्यय, बाजार उधार और अन्य देयताओं, उधार और निवेश, प्रशासित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत, प्रतिभूतियों तथा अन्य गतिविधियों के विवरण से संबंधित नीतियां शामिल हैं।	
वृहद आर्थिक रुपरेखा विवरण (एमएफ)	एमएफ विवरण में अर्थव्यवस्था के अवलोकन का निर्धारण, जीडीपी में वृद्धि, भुगतान संतुलन के चालू खाते में प्रदर्शित अर्थव्यवस्था के केन्द्र सरकार और बाह्य क्षेत्र के राजकोषीय संतुलन शामिल है।.	
मध्यम अवधि व्यय रुपरेखा विवरण (एमटीईएफ)	एमटीईएफ विवरण में अन्तर्निहित मान्यताओं के विशिष्टीकरण तथा निहित जोखिमों के साथ प्रस्तावित व्यय संकेतकों के लिए तीन वर्षीय प्रवाही लक्ष्य शामिल हैं।	
प्रकटीकरण विवरणियां		
प्रपत्र संख्या	**प्रकटीकरण की विवरण**	
डी-1	कर राजस्व एकत्रित किया गया लेकिन प्राप्त नहीं हुआ	
डी-2	गैर-कर राजस्व का बकाया	
डी-3	सरकार द्वारा दी गई गारंटी	
डी-4	परिसंपत्ति पंजिका	
डी-5	वार्षिकी परियोजनाओं पर देयताएं	
डी-6	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	**(2018-19 में लागू नहीं)**

अनुलग्नक-1.2

(पैरा सं. 1.2 के सन्दर्भ में)

2018 में संशोधित एफ आर बी एम अधिनियम के मुख्य प्रावधान (वर्ष 2018-19 से लागू)

1	राजकोषीय घाटा लक्ष्य	वित्तीय घाटा वित्त वर्ष 2020 21 के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने पर ध्यान देने के साथ प्रमुख परिचालन लक्ष्य के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 से शुरू होने वाले प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में सकल घरेलू उत्पाद के 0.1 प्रतिशत या उससे अधिक की वार्षिक कमी
2	राजस्व और प्रभावी राजस्व घाटा लक्ष्य	राजस्व घाटा लक्ष्य और परिणामतः प्रभावी राजस्व घाटा को हटाकर प्रारंभिक घाटा (राजकोषीय घाटा-ब्याज भुगतान) को राजकोषीय संकेतक के रूप में सम्मिलित किया
3	सामान्य और केन्द्र सरकार के ऋण लक्ष्य	वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक सामान्य सरकारी ऋण 40 प्रतिशत और केंद्र सरकार ऋण जी डी पी का 60 प्रतिशत का लक्ष्य
4	केन्द्रीय सरकार ऋण का कार्य क्षेत्र	'केंद्र सरकार के कर्ज' के दायरे का विस्तार किया गया है, जिसमें भारत की समेकित निधि (सी एफ आई) की सिक्युरिटी पर कुल बकाया देनदारियों और सार्वजानिक खाते की देनदारी को शामिल किया गया है और साथ ही किसी निगम या अन्य इकाई की ऐसी वित्तीय देनदारियां भी शामिल हैं जिसे केंद्र सरकार के विवरण से चुकाना या सेवा देना है।
5	प्रतिभूति लक्ष्य	समेकित निधि की सुरक्षा पर किसी भी ऋण के संबंध में वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के आधे प्रतिशत से अधिक की अतिरिक्त प्रतिभूति नहीं देना।
6	मोचन खंड	एस्केप क्लॉज उन आधारों का विस्तार (एस्केप क्लॉज़) करना, जिन पर केंद्र सरकार को घाटे के लक्ष्यों का अतिक्रमण करने की अनुमति है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध का कार्य, राष्ट्रीय आपदा, कृषि का पतन, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार, वास्तविक उत्पादन वृद्धि में गिरावट शामिल है। तथापि, राजकोषीय घाटे के

		लक्ष्य से कोई विचलन सकल घरेलू उत्पाद के आधे प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
7	राजकोषीय घाटा लक्ष्य के लिए अतिरिक्त उपबंध	पिछली चार तिमाहियों के औसत से कम से कम तीन प्रतिशत अंकों से एक तिमाही के वास्तविक उत्पाद में वृद्धि के मामले में एक वर्ष में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलु उत्पाद के कम से कम एक चोथाई प्रतिशत तक कम किया जाना
8	लेखों की समीक्षा की अवधि	त्रैमासिक समीक्षा और लेखों के मासिक विवरण की तैयारी के स्थान पर अर्धवार्षिक समीक्षा

नोट- हालांकि एम टी एफ पी सह एफ पी एस विवरण को बजट 2020-21 के साथ प्रस्तुत किया, परंतु राजकोषीय घाटा के लक्ष्य को जी डी पी के 3 प्रतिशत पर 2022-23 तक टाल दिया गया है।

अनुलग्नक-2.1

(ग्राफ 2.2 और 2.3 के सन्दर्भ में)

घाटा, जी डी पी तथा पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	जी डी पी*	वार्षिक वित्तीय विवरणसंघ सरकार वित्त लेखा से प्राप्त/					बजट सार					राजकोषीय घाटा में अंतर
		राजस्व घाटा	प्रभावी राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान पर व्यय	राजस्व घाटा की प्रतिशतता के रुप में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	राजस्व घाटा	प्रभावी राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान पर व्यय	राजस्व घाटा की प्रतिशतता के रुप में पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान	
	1	**2**	**3=2-5**	**4**	**5**	**6=5/2**	**7**	**8=7-10**	**9**	**10**	**11**	**12=4-9**
2013-14	112,33552	3,57,303	2,27,465	5,03,230	1,29,838	36.3	3,57,048	2,27,630	5,02,858	1,29,418	36.2	372
2014-15	124,67,959	3,66,228	2,35,468	5,15,948	1,30,760	35.7	3,65,520	2,34,760	5,10,725	1,30,760	35.8	5,223
2015-16	137,71,874	3,43,369	2,12,414	5,85,497	1,30,955	38.1	3,42,736	2,10,982	5,32,791	1,31,754	38.4	52,706
2016-17	153,91,669	3,17,030	1,50,470	5,37,799	1,66,560	52.54	3,16,381	1,50,648	5,35,618	1,65,733	52.4	2,181
2017-18	170,98,304	4,48,942	2,56,422	6,85,506	1,92,520	42.88	4,43,600	2,52,566	5,91,062	1,91,034	43.1	94,444
2018-19	189,71,237	4,55,108	NA	7,84,062	NA	NA	4,54,483	2,62,702	6,49,418	1,91,781	42.2	1,34,644

* 2013-14 तथा 2015-16 के लिए जी डी पी अनुमान प्रेस नोट दिनांक 31 जनवरी 2020 से लिया गया है तथा 2017-18 से 2018-19 तक के लिए प्रेस नोट दिनांक 29 मई 2020

अनुलग्नक-2.2

(पैरा सं. 2.5.1 के सन्दर्भ में)

व्यय के गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व व्यय की न्यूनोक्ति/अतिशयोक्ति

क्रम सं.	अनुदान की विवरण	मुख्य शीर्ष	वस्तु शीर्ष जिसमें व्यय को गलत तरीके से दर्ज किया गया	राशि (₹ करोड़ में)
(क) पूंजीगत प्रकृति के व्यय का राजस्व व्यय के तौर पर गलत वर्गीकरण				
1.	14-दूरसंचार विभाग	3275	51	0.02
2.	64-लघु, सूक्ष्म, मध्यम उधोग मंत्रालय	2851	52	1.33
3.	19-रक्षा मंत्रालय		01	5.89
4.	91- अंतरिक्ष विभाग	3402	21	297.84
		3402	50	3.41
			पूंजीगत व्यय की न्यूनोक्ति कुल (क)	308.49
(ख) राजस्व प्रकृति के व्यय का पूंजीगत शीर्ष के व्यय के तहत गलत वर्गीकरण				
1.	4-परमाणु ऊर्जा विभाग	4861	27	60.46
		5401	27	0.68
2.	14-दूरसंचार विभाग	5275	13	0.16
3.	87- पोत परिवहन मंत्रालय	5051	50	0.50
4.	100- युवा मामले व खेल मंत्रालय	4202	27	0.75
5.	19-रक्षा मंत्रालय (विविध)	5054	53	2,144.92
6.	11-वाणिज्य विभाग	5453	53	80.00
7.	17-कारपोरेट मामले मंत्रालय	5475	53	2.17
8.	48-पुलिस	4055	52	12.20
			पूंजीगत व्यय की अतिशयोक्ति कुल (ख)	2,301.84
			पूंजीगत व्यय की निविल अतिशयोक्ति (ख-क)	1,993.35

अनुलग्नक-4.1

(पैरा सं. 4.5 के सन्दर्भ में)

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एम टी ई एफ के राजस्व व्यय अनुमान और वास्तविक

(₹ करोड़ में)

व्यय का शीर्ष	वि.व. 17-18 के लिए अनुमान (वि.व. 2015-16 के लिए एम टी ई एफ विवरणी में)	वि.व. 17-18 के लिए अनुमान (वि.व. 2016-17 के लिए एम टी ई एफ विवरणी में)	2017-18 के एम टी ई एफ में बी ई	वि.व. 2017-18 के लिए एमटीईएफ विवरणी में 2018-19 के लिए आर ई	अनंतिम वास्तविक (वि.व. 2018-19 के लिए एम टी ई एफ विवरणी में)	प्रारंभिक अनुमानों से वास्तविकता के सम्बन्ध में प्रतिशत परिवर्तन
	अगस्त 2015	अगस्त 2016	अगस्त 2017	अगस्त 2018	अगस्त 2018	
आय	1,28,161	1,22,284	1,23,558	1,51,129	1,50,511	17%
ब्याज	5,39,000	5,44,000	5,23,078	5,30,843	5,29,243	-2%
पेंशन	1,12,933	1,36,026	1,31,201	1,47,438	1,45,789	29%
उर्वरक सब्सिडी	80,000	70,000	70,000	65,000	66,441	-17%
खाद्य सब्सिडी	1,41,000	1,40,000	1,45,339	1,40,282	1,00,316	-29%
पैट्रोलियम सब्सिडी	34,000	21,000	25,000	24,460	24,352	-28%
राज्यों को अनुदान हेतु केंद्रीयकृत प्रावधान	1,06,101	1,15,451	1,18,601	1,15,497	1,03,902	-2%
रक्षा	1,97,860	1,83,355	1,82,534	1,84,217	1,87,408	-5%
डाक घाटा	6,665	8,200	8,490	11,112	12,039	81%
विदेश मामले	11,937	9,861	10,816	10,389	10,499	-12%
गृह मामले	18,432	17,681	19,602	19,998	19,723	7%
कर प्रशासन	4,345	14,631	4,394	68,364	62,685	1343%
वित्त	35,544	15,687	6,909	6,610	5,724	-84%
शिक्षा	64,616	60,554	63,467	63,710	62,100	-4%
स्वास्थ्य	30,865	33,615	38,167	41,967	42,678	38%
समाज कल्याण	28,913	33,201	38,368	37,589	36,516	26%
कृषि एवं सहायक सेवाएं	26,293	48,682	52,901	52,607	48,660	85%
वाणिज्य एवं उधोग	16,489	14,430	20,067	22,458	20,336	23%
शहरी विकास	16,228	17,985	19,386	19,440	22,215	37%
ग्रामीण विकास	89,798	1,08,826	1,28,320	1,35,461	1,34,851	50%
उत्तर पूर्व क्षेत्र का विकास	2,647	2,031	2,069	2,260	2,256	-15%

योजना एवं सांख्यिकी	6,967	4,400	4,365	4,380	3,914	-44%
वैज्ञानिक विभागें	12,261	12,410	12,911	13,140	12,941	6%
ऊर्जा	11,421	20,157	19,542	27,457	28,271	148%
परिवहन	16,263	30,211	12,404	13,741	13,901	-15%
आईटी एवं दूरसंचार	7,153	8,646	15,653	11,137	11,052	55%
यूटी	7,647	7,255	7,335	7,491	7,435	-3%
अन्य	26,075	28,737	32,456	16,128	13,206	-49%
कुल राजस्व व्यय	**17,79,614**	**18,29,317**	**18,36,934**	**19,44,305**	**18,78,964**	**6%**

स्रोतः एम टी ई एफ विवरणियां (अगस्त 2016, अगस्त 2017 और अगस्त 2018)

एम टी ई एफ में पूंजीगत व्यय अनुमान और वित्तीय वर्ष 2017 -18 के लिए वास्तविक

(₹ करोड़ में)

व्यय का शीर्ष	वि.व. 17-18 के लिए अनुमान (वि.व. 2015-16 के लिए एम टी ई एफ विवरणी में)	वि.व. 17-18 के लिए अनुमान (वि.व. 2016-17 के लिए एम टी ई एफ विवरणी में)	2017-18 के एम टी ई एफ में बी ई	वि.व. 2017-18 के लिए एमटीईएफ विवरणी में 2018-19 के लिए आर ई	अनंतिम वास्तविक (वि.व. 2018-19 के लिए एम टी ई एफ विवरणी में)	प्रारंभिक अनुमानों से वास्तविकता के सम्बन्ध में प्रतिशत परिवर्तन
	अगस्त 2015	अगस्त 2016	अगस्त 2017	अगस्त 2018	अगस्त 2018	
रक्षा	1,17,720	98,068	91,580	91,461	95,453	-19%
गृह मंत्रालय	10,288	9,771	11,479	10,901	10,818	5%
वित्त	14,821	17,955	22,126	22,372	11,210	-24%
स्वास्थ्य	1,221	1,761	3,512	3,282	3,095	153%
वाणिज्य और उद्योग	2,195	1,206	1,981	1,154	1,157	-47%
शहरी विकास	14,708	12,502	19,332	19,422	15,346	4%
योजना और सांख्यिकी	390	29	29	29	9	-98%
वैज्ञानिक विभाग	4,520	3,949	4,293	3,864	3,863	-15%
ऊर्जा	7,273	9,498	12,670	8,867	8,676	19%
ट्रांसपोर्ट	84,369	88,549	1,11,482	92,900	96,185	14%
आईटी और दूरसंचार	3,472	5,193	3,735	5,236	4,417	27%
राज्यों को ऋण	13,781	12,500	18,500	4,768	4,768	-65%
केन्द्र शासित प्रदेश	2,348	1,867	1,763	2,373	2,413	3%
अन्य	7,435	6,017	7,320	6,815	6,292	-15%
कुल - पूंजीगत व्यय	**2,84,541**	**2,68,866**	**3,09,801**	**2,73,445**	**2,63,704**	**-7%**